न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :–95 / 2026

प्रार्थीनीः–

मीरादेवी पत्नी अभयसिंह जाति राजपुरोहित निवासी धीरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगणः–

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :–

श्री गणपतसिंह अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 18.05.2026

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी ने जगाराम पुत्र वेलाराम जाति मेघवाल निवासी मांगी से ग्राम विशनपुरा पटवार हल्का धीरा तहसील सिवाना के नाम दर्ज खातेदारी सम्परिवर्तित भूमि खसरा संख्या 258 रकबा 0.2118 हैक्टयर भूमि किस्म एग्रो फूड प्रोसेस यूनिट को जरिये रजिस्ट्री खरीद किया गया था प्रार्थीनी की उक्त खरीदसुदा आराजी की किस्म ''एग्रो फूड प्रोसेस यूनिट'' के स्थान पर ''एग्रो प्रोसेस यूनिट'' दर्ज हो गया जो की लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी की है, प्रार्थीनी द्वारा विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज वर्तमान प्रविष्टि ''एग्रो प्रोसेस यूनिट'' के स्थान पर ''एग्रो फूड प्रोसेस यूनिट'' किये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी ।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि विवादित भूमि खसरा संख्या 258 रकबा 0.2118 का संपरिवर्तन ''एग्रो फूड प्रोसेस यूनिट'' हेतु करवाया गया था, परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में ''एग्रो फूड प्रोसेस यूनिट'' के स्थान पर ''एग्रो प्रोसेसे यूनिट'' दर्ज कर दिया गया । लिहाजा प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माफिक सम्परिवर्तन आदेश विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में ''एग्रो प्रोसेस यूनिट'' के स्थान पर ''एग्रो फूड प्रोसेसे यूनिट'' दर्ज किया जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार सिवाना ने रिपोर्ट में जाहिर किया है की विवादित भूमि राजस्व रेकर्ड में सर्वे रिसर्वे से पूर्व खसरा संख्या 801/794 रकबा 0.2115 हैक्टेयर किस्म ''एग्रो फूड प्रोसेस यूनिट'' दर्ज था राजस्व ग्राम धीरा के खसरा संख्या 794/216 के खातेदार द्वारा सम्परिवर्तन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा दिनांक 06.07.2023 को रकबा 0.2115 हैक्टेयर भूमि अर्थात 2115 वर्गमीटर भूमि का ''एग्रो फूड प्रोसेस यूनिट किये जाने का आदेश पारित किया गया,सर्वे रिसर्वे के पश्चात वर्तमान राजस्व रेकर्ड में सहवन से खसरा संख्या 801/794 रकबा 0.2115 किस्म एग्रो फूड प्रोसेसे यूनिट के स्थान पर नवीन खसरा संख्या 258 रकबा 0.2118 किस्म एग्रो प्रोसेस यूनिट दर्ज हो गया, तहसीलदार सिवाना ने ग्राम विशनपुरा तहसील सिवाना के र राजस्व रेकर्ड में दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्ट को दुरूस्त किया जाना उचित बताया है।

लिहाजा प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम विशनपुरा तहसील सिवाना के खसरा संख्या 258 रकबा 0.2118 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज किस्म ''एग्रो प्रोसेस यूनिट'' को निरस्त कर विवादित भूमि की किस्म '''एग्रो प्रोसेस यूनिट'' के स्थान पर ''एग्रो फूड प्रोसेस यूनिट'' की जाती है। 'तहसीलदार सिवाना आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करे।

आदेश आज दिनांक 18.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)